यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ुदमा नम्बरः—168 / 2018 प्रार्थना पत्र

श्री किशन पिता हरनारायण दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया हाल पुलिस लाईन के पीछे, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री कमल कुमार पिता श्रवण दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री गणेश पिता श्रवण दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
मंजु पुत्री श्रवण दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अनिता पुत्री श्रवण दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीमति शांता पत्नि श्रवण दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री भैरूलाल पिता मगना माली, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री उदयलाल पिता दुर्गा पिता अमरा माली, उम्र बालिग निवासी समोड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा

———प्रार्थीगण

बनाम

श्री रामेश्वर पिता बद्री माली, उम्र बालिग निवासी सोलबिग्या—आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सोहन पिता मांगू माली, उम्र बालिग निवासी सोलबिग्या—आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री लक्ष्मण पिता बख्तावर बलाई, उम्र बालिग निवासी सोलबिग्या—आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ी भैरू पिता मगना तेली, उम्र बालिग निवासी सोलबिग्या—आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी जमना पिता मगना तेली, उम्र बालिग निवासी सोलबिग्या—आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री बन्नासिंह पिता नाथूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री गोपाल पिता कानसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—8.2.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—ास्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आरजिया ार हल्का आरजियाा भू—अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल ाजी नम्बर 2002 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 2003 रकबा 12 बिस्वा, 2012 रकबा 11 बिस्वा कुल ा 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण ो दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल वली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 6 व 8 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 31.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का श पारित किया गया। विपक्षी संख्या 7 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली गये। विपक्षी संख्या 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

होने के कारण दिनांक 4.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया
ा।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक
का बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते
कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,
ल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने
ते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजियाा भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर
ील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2002 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 2003 रकबा
बिस्वा, 2012 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के
पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख
क्षक, सांगानेर को 600/–रूपये (छः सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता
कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की
दगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को
ना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा